रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 1974/आषाढ 5, 1896
No. 159] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 1974/ASADHA 5, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June 1974

G.S.R. 280(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

C.O. 98

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) SECOND AMENDMENT ORDER, 1974

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment Order, 1974.

(2) It shall come into force at once.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954,—

(i) in the opening portion, for the words, brackets and figures "and the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971", the words, brackets and figures ", the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, the Constitution (Thirtieth Amendment) Act, 1972 and section 2 of the Constitution (Thirty-first Amendment) Act, 1973" shall be substituted;

(ii) in sub-paragraph (3) (relating to Part V), for clauses (a) and (b), the following clauses shall respectively be substituted, namely:—

"(a) For the purposes of article 55, the population of the State of Jammu and Kashmir shall be deemed to be sixty-three lakhs.

(b) In article 81, for clauses (2) and (3), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(2) For the purposes of sub-clause (a) of clause (1),—

(a) there shall be allotted to the State six seats in the House of the People;

(b) the State shall be divided into single-member territorial constituencies by the Delimitation Commission constituted under the Delimitation Act, 1972, in accordance with such procedure as the Commission may deem fit;

(c) the constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas, and in delimiting them regard shall be had to physical features, existing boundaries of administrative units, facilities of communication and public convenience; and

(d) the constituencies into which the State is divided shall not comprise the area under the occupation of Pakistan.

(3) Nothing in clause (2) shall affect the representation of the State in the House of the People until the dissolution of the House existing on the date of publication in the Gazette of India of the final order or orders of the Delimitation Commission relating to the delimitation of parliamentary constituencies under the Delimitation Act, 1972.

(4) (a) The Delimitation Commission shall associate with itself for the purpose of assisting it in its duties in respect of the State, five persons who shall be members of the House of the People representing the State.

(b) The persons to be so associated from the State shall be nominated by the Speaker of the House of the People having due regard to the composition of the House.

(c) The first nominations to be made under sub-clause (b) shall be made by the Speaker of the House of the People within two months from the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment Order, 1974.

(d) None of the associate members shall have a right to vote or to sign any decision of the Delimitation Commission.

(e) If owing to death or resignation, the office of an associate member falls vacant, it shall be filled as soon as may be practicable by the Speaker of the House of the People and in accordance with the provisions of sub-clauses (a) and (b).";

(iii) in sub-paragraph (5) (relating to Part V), clauses (c) and (d) shall be relettered as clauses (d) and (e) respectively and before clause (d) as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) in article 133, after clause (1), the following clause shall be inserted, namely:—

'(1A) The provisions of section 3 of the Constitution (Thirtieth Amendment) Act, 1972, shall apply in relation to the State of Jammu and Kashmir subject to the modification that references therein to "this Act", "the commencement of this Act", "this Act had not been passed" and "as amended by this Act" shall be construed respectively as references to "the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment Order, 1974", "the commencement of the said Order", "the said Order had not been made" and "as it stands after the commencement of the said Order".'";

(iv) in sub-paragraph (24) (relating to the Ninth Schedule), entries 65, 66 67, 68, 69, 70 and 71 shall be re-numbered as entries 64A, 64B, 64C, 64D, 64E, 64F and 64G respectively.

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 19(4)/74-L.I.]

S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1974

सा०का०नि० 280(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

सं० आ० 98

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) द्वितीय संशोधन आदेश, 1974

संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से, निम्नलिखित आदेश करते हैं:—

1. (1) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) द्वितीय संशोधन आदेश, 1974 है ।

(2) यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 में, —

(i) प्रारम्भिक भाग में, "और संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर ", संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971, संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 और संविधान (इकत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) (भाग 5 से सम्बन्धित) उप-पैरा (5) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

(क) अनुच्छेद 55 के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की जनसंख्या तिरेसठ लाख समझी जाएगी ।

(ख) अनुच्छेद 81 में, खण्ड (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, —

(क) लोकसभा में राज्य को छह स्थान आबंटित किए जाएंगे ;

(ख) परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा राज्य को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो आयोग उचित समझे, एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा;

(ग) निर्वाचन-क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक दृष्टि से संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करने में भौतिक विशिष्टताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और लोक सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा; तथा

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों में, जिनमें राज्य विभाजित किया जाए, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र समाविष्ट नहीं होंगे ।

(3) खण्ड (2) में की किसी भी बात का राज्य के लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग के अंतिम आदेश या आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को वर्तमान सदन का विघटन न हो जाए ।

(4) (क) परिसीमन आयोग राज्य से सम्बन्धित अपने कर्त्तव्यों में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए अपने साथ ऐसे पांच व्यक्तियों को सहयुक्त करेगा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य हों ।

(ख) राज्य से ऐसे सहयुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों का नामनिर्देशन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सदन की रचना का सम्यक्, ध्यान रखते हुए किया जाएगा ।

(ग) उपखण्ड (ख) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) द्वितीय संशोधन, आदेश, 1974 के प्रारम्भ से दो मास के भीतर किए जाएंगे ।

(घ) किसी भी सह-सदस्य को मत देने या परिसीमन आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(ङ) यदि मृत्यु या पदत्याग के कारण, किसी सह सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा यथासाध्य शीघ्रता से और उपखण्ड (क) और (ख) के उपबन्धों के अनुसार, भरा जाएगा ।" '

(iii) (भाग 5 से सम्बन्धित) उप-पैरा (5) में, खण्ड (ग) और (घ) क्रमशः खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के रूप में पुनर्अंकित किए जाएंगे और इस प्रकार पुनर्अंकित खण्ड (घ) के पहले निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) अनुच्छेद 133 में, खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

'(1क) संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में इस उपान्तरण के अधीन लागू होंगे कि उसमें "इस अधिनियम", "इस अधिनियम के आरम्भ", "यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था", और "इस अधिनियम, द्वारा यथा संशोधित" निर्देशों का क्रमशः इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) द्वितीय संशोधन आदेश, 1974", "उक्त आदेश के आरम्भ", "उक्त आदेश नहीं किया गया था" और जैसा कि वह उक्त आदेश के आरम्भ के पश्चात् है" के प्रति निर्देश हैं।' ";

(iv) (नवम अनुसूची से सम्बन्धित) उप-पैरा (24) में प्रविष्ट 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 को क्रमशः 64क, 64ख, 64ग, 64घ, 64ङ, 64च और 64छ प्रविष्ट के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाएगा ।

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 19 (4)/74-वि०-1]
एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974